उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
(श्रम विभाग, उ0प्र0)

द्वितीय तल, लेखराज मार्केट–2, इंदिरा नगर, लखनऊ–226016
टोल फ्री नंबर–1800 180 5412
फोन नंबर–0522–2344000–01 फैक्स नंबर–0522–2344002
वेबसाइट–www.upbocw.in

निम्नलिखित कार्य करने वाला श्रमिक निर्माण श्रमिक माना जायेगा।			
1	बेल्डिंग का कार्य	21	चौकीदारी (निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए)
2	बढ़ई का कार्य	22	सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने का कार्य
3	कुआँ खोदना	23	लिपिकीय / लेखा-कर्म (किसी निर्माण अधिष्ठान लिपिक व लेखाकार के रूप में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मकार के लिए)
4	रोलर चलाना	24	स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि / सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य
5	छप्पर डालने का कार्य	25	बाँध, पुल, सड़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रिया
6	राजमिस्त्री का कार्य	26	बाढ़ प्रबंधन व इसी प्रकार के अन्य कार्य से संबंधित सभी कार्य
7	प्लम्बरिंग	27	ठंडे एवं गरम मशीनरी की स्थापना और मरम्मत का कार्य
8	लोहार	28	अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत का कार्य
9	मोजैक पॉलिश	29	बड़े यांत्रिक कार्य, जैसे- मशीनरी, पुल निर्माण कार्य आदि
10	सड़क निर्माण	30	मकानों/भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य
11	मिक्सर चलाने का कार्य	31	खिड़की ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई एवं स्थापना का कार्य
12	पुताई	32	रसोई में उपयोग हेतु माडूलर इकाइयों की स्थापना
13	इलैक्ट्रिक वर्क	33	सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण
14	हथौड़ा चलाने का कार्य	34	ईट-भट्ठों पर ईट निर्माण का कार्य
15	सुरंग निर्माण	35	मिट्टी, बालू, व मौरंग के खनन का कार्य
16	टाईल्स लगाने का कार्य	36	सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य
17	कुएं से गाद (तलछट) हटाने का कार्य/डिविंग	37	लिफ्ट एवं स्वचलित सीढ़ी की स्थापना का कार्य
18	चट्टान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म	38	सीमेंट, कंक्रीट, ईट आदि ढोने का कार्य
19	स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से सम्बद्ध)	39	मिट्टी का काम
20	मार्बल एवं स्टोन्स वर्क	40	चूना बनाना

श्रमिक पंजीकरण हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया

- ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष के आयु के है और जिन्होंने पंजीकरण के समय पिछले 12 माह में 90 दिनो तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो।
- निर्माण श्रमिक श्रम विभाग के जिला श्रम कार्यालय/जनसेवा केन्द्रों पर पंजीयन फार्म के साथ दो फोटो, आधारकार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्माण श्रमिक के रूप में गत 12 महीनों में 90 दिनों तक का कार्य करने का प्रमाण पत्र सहित रू0 20/– पंजीकरण शुल्क, रू0 20/– एक वर्ष का अंशदान के साथ सम्पर्क करें।
- निर्माण श्रमिक एक साथ 03 वर्ष का अंशदान रू0 60/– जमा कर सकता ळें

तत्काल पंजीकरण हेतु जिला श्रम कार्यालय एवं जनसेवा केन्द्रों से सम्पर्क करें। योजनाओं में लाभ के लिये किसी भी व्यक्ति/दलाल को कोई पैसा नहीं दें।

अधिष्ठान पंजीयन

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 ऐसे प्रत्येक अधिष्ठानो पर लागू होता है जिसमे किसी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में पिछले 12 माह में किसी भी दिन 10 या 10 से अधिक कर्मकार नियोजित रहे हो | नियोजक को अपना पंजीयन भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य प्रारंभ होने के 60 दिन के अन्दर करवाना अनिवार्य है | पंजीयन हेतु नियोजक को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा तथा प्रपत्र के साथ कार्यस्थल के नक़्शे की तीन प्रतिया एवं निर्धारित शुल्क के ट्रेज़री चालान की प्रति सलग्न करना अनिवार्य है | पंजीयन शुल्क का विवरण निम्नवत है –

100 कर्मचारी तक – रु 1000/-

101 से 500 तक – रु 5000/-

501 या इससे अधिक – रु 10000/-

उपकर की वसूली

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 तथा केंद्रीय नियमावली 1998 के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य जिसपर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के प्राविधान लागू होते है पर निर्माण लागत का 1% की दर से उपकर जमा किया जाना अनिवार्य है |जहाँ मानचित्र का अनुमोदन आवश्यक है वहा पर मानचित का अनुमोदन करने वाला अधिकारी मानचित्र के अनुमोदन के समय ही प्रस्तावित निर्माण लागत पर 1% अग्रिम उपकर वसूल करेगा | निजी रिहायशी भवन जिनकी निर्माण लागत रु 10 लाख से कम है पर अधिनियम लागू नहीं है |

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं

क्र0	योजना का नाम	देय हितलाभ
01	मातृत्व हितलाभ योजना	पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से 03 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रू0 1,000/— का चिकित्सा बोनस देय होगा। पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू0 6,000/— दो किस्तों में देय होगा।
02	शिशु हितलाभ योजना	अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु वर्ष में एक बार एकमुश्त लड़का पैदा होने पर रू0 12,000/— वार्षिक तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में रू0 15,000/— प्रति शिशु की दर से शिशु की दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक देय होगा।
03	निर्माण कामगार बालिका मदद योजना	प्रथम संतान लड़की होने अथवा दूसरी सन्तान भी लड़की होने पर रू0 25,000/— बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जायेगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को रू0 50,000/— बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जायेगा।
04	सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष तक के अधिकतम 02 बच्चों (पुत्र/पुत्रियों) को कक्षा—1 से उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूनतम रू0 100/— मासिक से रू0 5,000/— मासिक तक विभिन्न दरों से छात्रवृत्ति का भुगतान।
05	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	मेधावी छात्र/छात्राओं को कक्षा 05 से लेकर उच्च शिक्षा हेतु रू0 4,000/— से रू0 22,000/— तक की वार्षिक छात्रवृत्ति।
06	आवासीय विद्यालय योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा की निःशुल्क सुविधा।
07	कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना	श्रमिक या उसके पुत्र/पुत्री के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति तथा प्रशिक्षण काल में श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान।
08	कन्या विवाह सहायता योजना	श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु रू0 55,000/— एवं अन्तर्जातीय विवाह में रू0 61,000/— प्रति विवाह अनुदान दो पुत्रियों के विवाह हेतु।
09	निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना	प्रमुख निर्माण स्थलो पर रू0—5 पर पौष्टिक भोजन की सुविधा।
10	सौर ऊर्जा सहायता योजना	रू0 250/— में पंजीकृत श्रमिक के आवास पर सोलर पैनल, बैट्री, दो लाइट व पंखे की सुविधा प्रदान किया जाना।
11	आवास सहायता योजना	1—पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रयहीन होने अथवा अधिकतम दो कच्चे कमरे वाले अपनी जमीन पर मकान बनाने अथवा मकान क्रय हेतु रू0 1,00,000/— की आर्थिक सहायता दो किस्तों में दी जाएगी। 2—स्वयं का आवास होने पर शौचालय की सुविधा न होने पर शौचालय निर्माण हेतु रू0 12,000/— की धनराशि दो सामान किस्तों में एवं मकान मरम्मत हेतु रू0 15,000/— एक मुश्त दी जाएगी।
12	चिकित्सा सुविधा योजना	पंजीकृत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष रू0 3,000/— अविवाहित को रू 2,000/— प्रतिवर्ष। राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जिला सहकारी बैंक के खाते में सीधे स्थानान्तरित।
13	गंभीर बीमारी सहायता योजना	ह्रदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ की हड्डी की शल्य क्रिया पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी, आँख की शल्य क्रिया, पथरी की शल्य क्रिया, अपेन्डिक्स की शल्य क्रिया, हाइड्रोसील की शल्य क्रिया, महिलाओ में होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया, सर्विकल (बच्चेदानी/योनि) कैंसर की शल्य क्रिया बीमारी आदि गम्भीर बीमारियों के इलाज में सरकारी संस्था/सरकारी मेडिकल कालेज में किये गये व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति।
14	अक्षमता पेंशन योजना	कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर पूर्ण स्थायी अपंगता पर रू0 1,000/— से रू0 1,500/— प्रतिमाह आजीवन अक्षमता पेंशन।
15	पेंशन सहायता योजना	निर्माण श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं तत्समय पूर्ववर्ती 03 वर्ष तक लगातार अंशदान जमा करने पर रू0 1,000/— की आजीवन मासिक पेंशन।
16	निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना	दुर्घटना से मृत्यु होने पर रू0 5,00,000/— सामान्य मृत्यु पर रू0 2,00,000/— स्थायी अपंगता पर रू0 3,00,000/— एवं आंशिक अपंगता पर रू0 2,00,000/— की आर्थिक सहायता एवं श्रमिक के पंजीकृत न होने की दशा में कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर एवं रू0 50,000/— की आर्थिक सहायता।
17	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर अंत्येष्टि हेतु रू0 25,000/— की आर्थिक सहायता।

<u>नोट:</u>
1. सभी योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये ही है। अंशदान नियमित रूप से जमा करायें। अंशदान जमा न होने पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा।
2. किसी पंजीकृत श्रमिक के 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र/पुत्री श्रमिक के रूप में कार्य करते पाए जाने पर सहायता नहीं दी जाएगी तथा पूर्व में दी गई सहायता वापसी ली जाएगी।
3. बोर्ड द्वारा पंजीयन, अंशदान तथा सौर ऊर्जा सहायता योजना में रू0 250/— मात्र के अतिरिक्त कोई धनराशि नहीं ली जाती है। दी गयी राशि की रसीद अवश्य लें। किसी भी दलाल को कोई पैसा न दें। यदि कोई व्यक्ति लाभ दिलाने के लिये पैसे की माँग करता है तो तत्काल उसकी शिकायत उप श्रमायुक्त से करें।